दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन
SECOND REPORT

बिक्रिकर विभाग पर प्रतिवेदन
REPORT ON SALES TAX DEPARTMENT

दिनांक 22 सितंबर को प्रस्तुत
Presented on 22nd September 2005

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,विधान सभा भवन,पुराना सचिवालय,दिल्ली - 110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Vidhan Sabha Bhawan, Delhi - 54

समिति की सदस्यता

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

2005-2006

1	डॉ. एस सी वत्स Dr. SC Vats	सभापति Chairman
2	डॉ. नरेन्द्र नाथ Dr. Narender Nath	सदस्य Member
3	डॉ. (श्रीमती) किरण वालिया Dr. (Smt.) Kiran Walia	सदस्य Member
4	श्री वीर सिंह धिगान Shri Veer Singh Dhingan	सदस्य Member
5	श्री बलजोर सिंह Shri Baljor Singh	सदस्य Member
6	श्री रमेश लाम्बा Shri Ramesh Lamba	सदस्य Member
7	श्री जय भगवान अग्रवाल Shri Jai Bhagwan Aggarwal	सदस्य Member
8	श्री साहब सिंह चौहान Shri Sahab Singh Chauhan	सदस्य Member
9	श्री रमेश बिधुड़ी Shri Ramesh Bidhuri	सदस्य Member

विशेष आमंत्री

Special Invitees:

1	श्री आर० के० घोष Shri RK Ghose	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली Accountant General (Audit), Delhi.
2	श्री वि०वि० भट्ट Shri V V Bhatt	प्रधान सचिव (वित्त) Principal Secretary (Finance)
3	श्री शरत चौहान Shri Sharat Chauhan	अतिरिक्त सचिव (वित्त) Additional Secretary (Finance)

विधान सभा सचिवालय

Assembly Secretariat:

1	श्री सिद्धार्थ राव Shri Siddharath Rao	सचिव Secretary
2	श्री जी0एस0 रावत Shri GS Rawat	संयुक्त सचिव Joint Secretary
3	श्री एस० एम० भारद्वाज Shri SM Bhardwaj	उप सचिव Deputy Secretary
4	श्री सी0 वेलमुरुगन Shri C. Velmurugan	अवर सचिव (विधायी) Under Secretary (Legislation)

* * * * *

प्रस्तावना

मैं, डॉ. एस.सी.वत्स, सभापति, लोक लेखा समिति, दिल्ली विधान सभा, समिति द्वारा इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, एतद्द्वारा मार्च 2004 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वर्णित, बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित पैरो के परीक्षण से संबद्ध, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समिति ने दिनाँक 23 जून 2005, 26 जुलाई 2005 तथा 10 अगस्त 2005 को आयोजित बैठकों में इन पैरों पर विचार किया। विभाग को इन बैठकों में अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। समिति तत्काल मंगाई गई सूचना तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बिक्री कर विभाग के अधिकारियों की सराहना करती है। समिति की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न पैरो पर कार्रवाई नोट, जो दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित थे, को प्रस्तुत करने के लिये विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। इस संबंध में आयुक्त (बिक्री कर) श्री आर.के.वर्मा. की लगन एवं निष्ठा उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है।

श्री वी.वी.भट्ट, प्रधान सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार और श्री आर. के.घोष, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली ने समिति को आवश्यक समिति का आवश्यक मार्ग दर्शन किया और समिति उनके सहयोग के लिये आभारी है। समिति, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा बैठकों के दौरान एवं प्रतिवेदन तैयार करने में दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।

SCVats

(डॉ.एस.सी.वत्स)
सभापति
लोक लेखा समिति
दिल्ली विधान सभा

दिल्ली
20 सितम्बर 2005

भाग 1

5.6.4 बिक्री कर संचयन में बकायों की स्थिति :

समय-समय पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में बकायों के संचयन में बढ़ रही प्रवृत्ति को विशिष्टता प्रदान की गई है। तथापि, विभाग की तरफ से कोई भी पर्याप्त और संगत कार्रवाई करने में कमी के परिणामस्वरूप बकायों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वसूली के लिए प्रतीक्षित माँगों की स्थिति, निर्धारित लक्ष्यों, अतिरिक्त उठाई गई माँगें और संचित की गई धनराशियों का विवरण निम्नवत था :-

तालिका 5.6.4 बिक्रीकर के संचयन में बकायों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	वर्ष	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	वर्ष के प्रारंभ में वसूली के लिए प्रतीक्षित माँगें	4,718.04	5,527.56	6,616.58	6,987.15*	8,327.83
2.	वर्ष के दौरान उठाई गई वर्तमान माँगें	1,118.68	1,241.20	623.16	1,926.77	1,607.05
3.	वर्ष के दौरान उठाई गई माँग के विरूद्ध संचितकर	53.83	61.22	63.89	61.00	71.39
4.	वर्ष के दौरान उठाई गई माँग के अनुपात के अनुसार संचित कर	0.92%	0.90%	0.89%	0.68%	0.71%
5.	वर्ष के दौरान माँग की कटौती/ छूट के कारण समायोजन	255.33	90.96	176.48	525.09	498.72
6.	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित कुल माँग 1+3-4-6	5,527.56	6,616.58	6,999.37	8,327.83	9,364.77
7.	वर्ष के दौरान बिक्रीकर का कुल संचयन	2,347.00	3,388.00	3,704.00	3,883.00	4,385.00
8.	लम्बित वसूली की कुल माँग अनुपात के अनुसार कुल संचयन	42.46%	51.20%	52.92%	46.63%	46.82%

* 2001-02 के लिए अन्त शेष के विभागीय आँकड़े और 2002-03 के आदि शेष मिलते नहीं हैं, जैसा कि 31 मार्च, 2003 के समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निर्दिष्ट किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि वर्ष की समाप्ति पर लम्बित माँगें 1999-2000 के शुरू में 4718.04 करोड़ रु0 से 2003-04 की समाप्ति पर 9364.77 करोड़ रु0 लगभग दुगुनी हो चुकी थी। उत्थित माँग के अनुपात के अनुसार वसूली 1999-2000 के वर्ष में 0.92 प्रतिशत से 2003-04 के दौरान 0.71 प्रतिशत तक अवनति हुई। वास्तव में, लम्बित संचयन की धनराशि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक वर्षों के दौरान वास्तविक संचयित बिक्री कर की दुगुनी है।

विभाग ने कहा कि बकायों में वृद्धि का मुख्य कारण वास्तव में यह था कि निर्धारण की अवधि सीमा तत्काल के वर्षों में चार वर्ष तक प्रबलता से कम की गई थी और बहुत से व्यापारी निर्धारण के समय तक सांविधिक प्रपत्रों को दूसरे राज्यों से प्राप्त नहीं कर सके थे।

सच्चाई यह थी कि बकायों के संचयन में हो रही वृद्धि की स्थिति के बावजूद विभाग लम्बित माँगों को संचित करने के लिए कठोर उपायों को शुरू करने में विफल रहा,जिसके परिणामस्वरूप बकायों में वृद्धि हुई। केवल जनवरी,2004 में विभाग ने चूककर्त्ता व्यापारियों को प्राथमिकता, लम्बित कोर्ट मामलों की संवीक्षा और वसूली कार्यवाहियों के सशक्त पालन के संबंध में अनुदेशों को जारी किया।

विभाग का उत्तर

समिति की, दिनाँक 23 जून 2005 को आयोजित बैठक में आयुक्त (बिक्री कर) को लंबित वसूली के कारण, यथा-सांविधिक फार्मों का गैर-प्रस्तुतीकरण, एकपक्षीय मूल्यांकन, फर्जी डीलरों, व्यापार बंद होना आदि दर्शाते हुये विस्तृत ब्रेक-अप एवं इन मामलों की स्थिति की सूचना पन्द्रह दिनों की अवधि के दौरान प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। विभाग को अगली बैठक से पहले, लंबित वसूली मामलों और व्यवस्था में सुधार हेतु विभाग द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये भी निर्देश दिया गया।

26 जुलाई 2005 को आयोजित अगली बैठक में विभाग ने वांछित सूचना प्रस्तुत की। आयुक्त ने स्वीकार किया कि वसूली की तरफ वह ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके लिये यह योग्य थी। उन्होंने कहा कि यह एक कम प्राथमिकता का क्षेत्र रही है और अब एक नमूना-सर्वेक्षण के बाद उन्होंने अनुभव किया कि आँकड़ों का बहुत ज्यादा समाधान आवश्यक है क्योंकि रिकॉर्ड को उपयुक्त ढंग से अनुरक्षित नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि विभाग ने पिछले दस वर्षों के डी.सी.आर.(माँग एवं वसूली रजिस्टर) पूर्ण करने का प्रबंध किया है और व्यापारियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है ताकि वे अपनी आपत्तियाँ, यदि कोई हो, तो उनको प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने बताया कि यह भी एक तथ्य है कि एक-पक्षीय (अर्थात् व्यापारियों की अनुपस्थिति में मूल्यांकन) आधार पर अनियंत्रित वृहद् मूल्यांकन 15-20% के आस-पास चल रहा था और इस समस्या का ध्यान रखने के लिए विभाग ने अक्तूबर 2004 से मार्च 2005 तक की अवधि के दौरान लगभग 20,000 व्यापारियों का पंजीकरण रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों के

दौरान वसूली पक्ष को अधिक समय नहीं दिया जा सका क्योंकि वैट की एक नई व्यवस्था लागू की जानी थी।

समिति को सूचित किया गया कि वर्ष 1999-2000 से 2000-2004 हेतु 10 लाख से भी ज्यादा मामलों की फाइले सम्मिलित थीं, विभाग ने वसूली की स्थिति का विश्लेषण करने के लिये एक नमूना अभ्यास किया। इसके परिणाम निम्नानुसार थे: -

	राशि करोड़ रू. में
वर्ष 2003-2004 के अंत में लंबित माँग	9365
वर्ष 1999-2000 के प्रारम्भ में लंबित माँग	4718
एकपक्षीय मूल्यांकन आदेशों के कारण लंबित माँग	3000
अपीलों के अन्तर्गत माँग	1900
परिशोधन में लंबित माँग	20
वसूली योग्य दर्शाई गई माँग	4445

विभाग ने स्वीकार किया कि कई मामलों में अपील/संशोधन आदि के आदेश, जिनमें माँग में छूट की अनुमति दी गई थी, उनको माँग वसूली रजिस्टरों (डी.सी.आर.) में नहीं दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन आँकड़ों का समाधान मुश्किल था।

विभाग ने समिति की इस आशंका की पुष्टि भी की कि 30% से भी ज्यादा माँग एकपक्षीय आदेशों के कारण की गई, जहाँ निर्धारण प्राधिकारियों ने यह जाँच किये बिना कि व्यापारी वास्तव में कार्यरत था या नहीं, यांत्रिक रूप से पिछले वर्ष का 10-15% कुल टर्न ओवर जोड़ दिया। चूंकि अधिकतर मामलों में व्यापारी ने अपना व्यापार बंद कर दिया था, इन माँगों की वसूली की कोई संभावना नहीं थी। आयुक्त ने सूचित किया कि एकपक्षीय निर्धारण की प्रतिशतता 1999-2000 में 52% से 2003-2004 में 17% तक नीचे आ गई थी।

बकायों की वसूली के लिये विभाग ने निम्नलिखित कार्यवाही योजना प्रस्तुत की थी: -

1. "विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। यह पूरे वर्ष चलेगा और सप्ताह में एक दिन वसूली मामलों के संसाधन और संभालने के लिये तथा डी. सी.आर. /पुराने देयों के समाधान एवं अपडैटिंग के लिये भी रखा जायेगा।
2. प्रत्येक वार्ड के लिये लक्ष्य निश्चित किये गये हैं तथा व्यक्तिगत मामलों को साप्ताहिक आधार पर मॉनीटर किया जायेगा तथा वर्ष 2005-2006 हेतु 880 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की है, जहाँ वसूली संभव है और उन्हें पहले लिया जायेगा। पिछले पाँच वर्ष के चूककर्ताओं की वार्ड अनुसार सूची बनाई गई है और प्रथम दृष्टि में एक लाख रू. से अधिक के मामलों को लिया जायेगा।
4. प्रभावी नियंत्रण के लिये माँग याचिका, गिरफ्तारी वारंट आदि जारी करने के अतिरिक्त सभी बैलिफों को वसूली शाखा के निपटान हेतु रखा गया है।

5. पुराने मामलों में किस्त आधार पर भुगतान के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। तथापि यह सरकारी राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुये, योग्यता से मामले-दर-मामले आधार पर निर्णित किया जायेगा।

6. दोषी व्यापारियों तथा जमानती व्यापारियों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंटों की प्रबलतापूर्वक सहायता ली जायेगी।

7. वसूली शाखा को अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करके तथा 106 वार्डों में सभी एस.टी.ओ./ए.एस.टी.ओ./एस.टी.आई. को वसूली कार्य सौंपकर मजबूत किया गया है।

8. वसूली शाखा में तथा वार्डों में रिकॉर्ड रख-रखाव में सुधार किया जा रहा है तथा इसे संयुक्त आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त के स्तर पर मॉनीटर किया जा रहा है।

9. गिरफ्तारी वारंटों पर कार्यान्वयन के लिये पुलिस अधिकारियों से सहयोग लिया जायेगा ।"

समिति की टिप्पणी एवं अनुमोदन

नमूना सर्वेक्षण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह स्पष्ट था कि माँग का 72% सांविधिक फार्मों की गैर-प्रस्तुती के कारण था जिसमें से 57% केवल केन्द्रीय फार्मों से था (अर्थात् अन्तर्राज्यीय खरीद) । आयुक्त ने बताया कि इसका मुख्य कारण यह था कि दिल्ली केवल ऐसा राज्य था, जहाँ अद्यतन निर्धारण किया जा रहा था जबकि दूसरे राज्यों में निर्धारण पीछे था और इसलिए दिल्ली के व्यापारी इन राज्यों से सांविधिक फार्म प्राप्त नहीं कर सके। जहाँ तक स्थानीय फार्मों, जिन्हें विभाग द्वारा ही जारी किया जाना था, उनके गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण सृजित माँग का संबंध है, आयुक्त ने बताया कि जब केन्द्रीय अधिनियम के तहत फार्मों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण व्यापारी के विरूद्ध माँग लंबित थी, वार्ड अधिकारियों ने उसे स्थानीय फार्म जारी करना बंद कर दिया क्योंकि केवल वही एक सुरक्षा थी जिसे विभाग व्यापारियों के विरूद्ध प्रयुक्त कर सकता था।

समिति को खेद है कि विभाग ने बकायों की वसूली के संदर्भ में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, जिनसे सरकार के राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होती। विभाग द्वारा अब प्रस्तुत कार्य योजना अच्छी प्रतीत होती है परन्तु इसकी प्रभावपूर्णता, इसके कर्मठतापूर्वता क्रियान्वयन पर निर्भर हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग को काल्पनिक या जाली व्यापारियों का पंजीकरण रोकना है। वार्ड अधिकारियों को प्रत्येक व्यापारी का अद्यतन रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया जाना चाहिये और जब भी व्यापारी अपने व्यापार स्थल या निवास स्थान बदले, रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाये। यही नहीं उस व्यापारी के विवरण जिसने जमानत दी है, उन्हें भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाये।

आयुक्त ने बैठक में बताया था कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा एकपक्षीय निर्धारण करने का कारण यह था कि अगर माँगों को सृजित नहीं किया गया तो उनको दोषी ठहराया जायेगा। गैर कार्यरत व्यापारियों के एकपक्षीय निर्धारण से बचा जाना चाहिये। यह तभी संभव है, यदि

वार्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों के बारे में चौकस हैं। जब कोई व्यापारी अपना व्यापार बंद कर दे तो उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने की कार्यवाही तथा देयों की वसूली, यदि कोई हो तो तत्काल करनी चाहिये।

यही नहीं किसी निर्धारणकर्ता प्राधिकारी का निष्पादन उसके द्वारा सृजित माँग की राशि से निश्चित नहीं करना चाहिये। इसकी अपेक्षा उसके द्वारा उगाही गई वास्तविक वसूली राशि पर विचार करना चाहिए।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार माँग करने के तीन मुख्य कारणों को इस प्रकार दर्शाया गया है, (1) स्थानीय फार्मों को प्रस्तुत न करना (2) केन्द्रीय फार्मों को प्रस्तुत न करना और (3) कर का गैर-सत्यापन (अर्थात् व्यापारी द्वारा जमा की गई वास्तविक कर राशि का बैंक विवरणों से सत्यापन)। इन सबको यांत्रिक रूप से परिकलित किया जा सकता है। निर्धारण का अर्थ केवल उपरोक्त विवरणों की गणना करना ही नहीं है, जिसे लिपिकीय स्टाफ द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि निर्धारण प्राधिकारियों ने यह सत्यापित करने के लिये कि क्या कोई अपवंचन या गलत कर दरों की उगाही हुई है आदि, हेतु लेखा-पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया।

आयुक्त ने बताया कि बकायों की वसूली के लिये वर्तमान वर्ष हेतु 880 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनका यह विचार था कि ठोस कार्यवाही से पुराने बकायों की वसूली की संपूर्ण प्रक्रिया तीन वर्षों की अवधि में पूरी की जा सकती है। **विभाग को बकायों की वसूली के लिये उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही योजना का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा प्राप्त प्रगति एवं स्थिति की दिसम्बर 2005 में समीक्षा करेगी।**

5.6.5 : लम्बित अपील और संशोधन मामले

31 मार्च,2004 को विभिन्न प्राधिकारियों के पास अपीलों और संशोधनों के बारे में कुल 56,598 मामले लम्बित थे, जैसा कि नीचे है :-

तालिका 5.6.5 : लम्बित अपील और संशोधन मामले

(करोड़ रु0 में)

प्राधिकारी का नाम	मामलों की संख्या	धनराशि
अन्तर विभागीय अपीलें	56,065	*1,608.75
न्यायाधिकरण में मामले	485	124.70
उच्च न्यायालय में मामले	41	19.69
उच्चतम न्यायालय में मामले	7	उपलब्ध नही
कुल	56,598	1,753.14

* **54** लॉटरी मामलों से संबंधित 10786.53 करोड़ रुपये निकालकर

जैसा कि उपरोक्त से देखने पर स्पष्ट होगा कि 1608.75 करोड़ रुपये से अधिक (अपीलों में कुल धनराशि का 92 प्रतिशत अवरोधित था) के राजस्व निहित मामलों का 99 प्रतिशत विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों के पास लम्बित था। अप्रैल,2004 में बिक्रीकर आयुक्त ने सभी अपीलीय प्राधिकारियों की एक गोष्ठी बुलाई और अपीलों के निपटान में वृद्धि करने के लिए निर्देश दिया।

5.6.6 विभाग के अन्तर्गत लम्बित अपील और संशोधन मामले

अधिनियम प्रावधान करता है कि अधिनियम अथवा बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी आदेश द्वारा कोई व्यक्ति दुःखी है तो निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों के लम्बित अपीलों का वर्षवार विवरण और 31 मार्च,2004 के अनुसार विघटित अवेष्टित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार था :

तालिका 5.6.6 विभाग के अन्तर्गत लम्बित अपील और संशोधन के मामले

(करोड़ रु0 में)

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित मामले	वृद्धि	निपटान	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित मामले	धनराशि
1999-00	65,729	15,523	15,551	65,701	1,943.87
2000-01	65,701	20,524	12,151	74,074	2,529.34
2001-02	74,074	15,121	16,965	72,230	2,976.97
2002-03	72,230	17,482	23,204	66,508	2,253.36
2003-04	66,508	19,922	*30,365	56,065	1,608.75

* टिप्पणी : 54 लाटरी के मामले भी कम किये गये।

विभाग द्वारा इतनी भारी संख्या में लम्बित मामलों के कारणों की पुष्टि करने के लिए कोई भी ज्ञेय कोशिशें नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन या मामलों को तत्काल निपटाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने में रूकावट थी।

विभाग ने कहा कि अपील प्राधिकारियों को लम्बित मामलों के पिछले संचय का निपटान करने के लिए अनुदेश जारी किये जा चुके हैं और ये गहन निगरानी में हैं।

5.6.7 न्यायाधिकरण के पास लम्बित मामले

अधिनियम प्रावधान करता है कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश द्वारा आयुक्त अथवा कोई भी दुःखी व्यक्ति उस आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। 31 मार्च,2004 के अनुसार न्यायाधिकरण के पास लम्बित अपीलों की संख्या निम्नवत थी :

तालिका 5.6.7 न्यायाधिकरण के पास लम्बित मामले

(करोड़ रु0 में)

वर्ष	प्रारंभ में लम्बित अपीलों की संख्या	वर्ष के दौरान अपीलों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अपीलों का निपटान	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित अपीलें	अपीलों की लम्बन की प्रतिशत
2001-02	776	509	1,062	223	17
2002-03	223	548	723	48	6
2003-04	48	558	121	485	80

जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकेगा कि 2001-02 से 2003-04 के दौरान लम्बित अपीलों की प्रतिशतता में वृद्धि 17 से 80 प्रतिशत तक हुई।

विभाग ने कहा कि एक सदस्य के सेवानिवृत्त होने के कारण और सरकार द्वारा नये सदस्य की नियुक्ति तक, न्यायाधिकरण जुलाई,2003 से मार्च,2004 तक कार्य नहीं कर सका।

5.6.8 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

31 मार्च,2004 के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों का विस्तृत विवरण निम्नवत था :

तालिका 5.6.8 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

(करोड़ रु0 में)

वर्ष	उच्च न्यायालय में मामले	धनराशि	उच्चतम न्यायालय में मामले	धनराशि	मामलों की कुल संख्या	धनराशि
2001-02	4	34.40	4	लागू नहीं	8	लागू नहीं
2002-03	12	17.90	3	लागू नहीं	15	लागू नहीं
2003-04	41	19.69	7	लागू नहीं	48	लागू नहीं

जैसा उपर्युक्त से सुस्पष्ट कि 2001-02 से 2003-04 के दौरान न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या आठ से 48 हो गई थी। विभाग ने मई,2004 में सूचित किया कि न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित वसूली शून्य थी। विभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों से सफलतापूर्वक राजस्व वसूली करने में विफलता के कारण ऐसे मामलों की प्रगति के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से मानीटर करने की आवश्यकता पर बल देना जिससे कि राजस्व के हितों को बाध्यतापूर्ण ढंग से प्रक्षेप्ति और प्रभावपूर्ण ढंग से बचाव को सुनिश्चित किया जा सके।

विभाग का उत्तर

विभाग ने बताया की विभाग के अपीलीय प्राधिकरण के पास 31 मई 2005 तक अपीलों के 36617 मामले तथा संशोधनों के 1480 मामले लंबित थे तथा गत वर्ष 16900 मामले निपटाये जा चुके थे। आयुक्त ने दिनाँक 26 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक में बताया कि वर्तमान में 12-15 अपीलीय प्राधिकरण मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और प्रत्येक प्राधिकरण हेतु 250-300 मामलों का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 1995 से पहले के मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि तीन वर्षों में सभी लंबित मामलों का निपटान किया जा सके। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वैट व्यवस्था के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मामले के रिमांड का अधिकार वापिस ले लिया गया है और समय बचाने के लिये उन्हें स्वयं मामले का निर्णय करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि विभाग ने एक ऐसी योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें व्यापारी निर्धारणकर्त्ता प्राधिकरण के पास अपने अपील केस के स्वत: रिमांड हेतु सारांश एवं 50 रूपये शुल्क जमा करा सकता है।

समिति को सूचित किया गया कि ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2003 से मार्च 2004 तक कार्य नहीं किया क्योंकि सरकार द्वारा एक नये सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं अनुमोदनों के संबंध में अपने लिखित उत्तर में विभाग ने वसूली स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित उपायों का आश्वासन दिया है:-

1. "प्रत्येक वार्ड एवं वार्ड अधिकारियों हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वे अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पाक्षिक आधार पर तथा सी.एस.टी. द्वारा मासिक आधार पर मॉनीटर किये जा रहे हैं।
2. नये पंजीकरण के मामले में, विभाग व्यापारी के नाम,पते संपत्ति का विवरण, बैंक खाता आदि के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा है। व्यापारियों के विवरणों में संशोधन किया जा रहा है, जब पते, फर्म के गठन आदि में कोई परिवर्तन हो तथा सभी मामलों में फील्ड स्टाफ द्वारा पश्च-पंजीकरण सत्यापन किया जा रहा है। पंजीकरण के समय जमानत आवश्यक रूप से ली जाती है।
3. विभाग ने अपीलों/संशोधन तथा रिमांड मामलों के निपटान हेतु समय सीमा तथा लक्ष्य निश्चित किये हैं। विभाग बैकलॉग समाप्त करने के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 25000 मामले निपटाना चाहता है।
4. रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है तथा रिकॉर्ड के उपयुक्त रखरखाव हेतु ध्यान दिया जायेगा।
5. वसूली शाखा में नकदी संभालने को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इसे एस.टी.ओ.(वसूली) द्वारा प्रतिदिन मॉनीटर किया जाता है।
6. विशेष वसूली अभियानों की योजना बनाई जा रही है ताकि व्यापारी आगे आयें और अपने देय जमा करें तथा यदि वे यह अनुभव करें कि राशि देय नहीं है तो वे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् देयों का समाधान कर सकते हैं।

7. निर्धारणकर्ता प्राधिकारियों को, "निर्धारण कैसे करें" इसका प्रशिक्षण दिया गया है तथा उप आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त, को 10 निर्धारण मामलों की जाँच करने का निर्देश दिया गया है तथा इन जाँचे गये मामलों में से पाँच मामलों को संयुक्त आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षित किया जायेगा।

8. गैर कार्यरत व्यापारी यदि कोई हैं, उनको निकाल दिया जायेगा।"

समिति की टिप्पणी एवं अनुमोदन

ट्रिब्यूनल राज्य के साथ-साथ व्यापारी के हितों की संरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसके गैर-कार्यरत रहने से वह मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है, जिसके लिये इसका गठन किया गया था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रिब्यूनल की रिक्तियाँ तुरंत भरी जाए। वर्तमान मामले में सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति सृजित हुई, जिसका पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए था तथा उत्तराधिकारी को नियुक्त करने की प्रक्रिया अग्रिम रूप से पूर्ण कर लेनी चाहिए थी।

कोर्ट में लंबित मामलों के संबंध में विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में सूचित किया कि वह ट्रिब्यूनल/हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों को प्रभावपूर्ण ढंग से मॉनीटर कर रहा है। इसने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विभाग का काउन्सेल प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित हो तथा उन मामलों में केवल प्रतिष्ठित अधिवक्ता को ही अनुबंधित किया गया है जहाँ विवादित राशि अधिक है या जहाँ वैधानिक मामले में गंभीर राजस्व निहितार्थ सम्मिलित हैं।

विभाग द्वारा अनुबंधित काउन्सेल के कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और केवल उनको ही मामले सौंपने चाहिये जो अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन काउन्सेलों के पास निजी मामले न हों जो राज्य के हितों से टकरायें।

समिति, विभाग के अंतः विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों एवं संशोधनों के निपटान की स्थिति एवं प्रगति की दिसम्बर 2005 में समीक्षा करेगी।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, बकायों की वसूली से सम्बन्धित निम्नलिखित पैरो में वर्णित विभाग की कमियाँ दूर हो जायेगी, यदि विभाग ईमानदारी से अपनी प्रस्तावित कार्यवाही योजना का पालन करे :-

5.6.9 प्रमाण पत्र कार्यवाही के अंतर्गत बकायों की वसूली

5.6.10 वसूली शाखा द्वारा प्रमाण पत्र कार्यवाहियाँ

5.6.11 बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र कार्यवाहियाँ

5.6.12 अभिलेखों का अनुपयुक्त रखरखाव

5.6.13 आन्तरिक नियंत्रण

पैरा 5.6.14 (बैलिफों द्वारा नकदी संभालने में अनियमिततायें) के संबंध में आयुक्त ने स्वीकार किया कि पूर्व में प्राप्ति एवं भुगतान नियमों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने बताया कि अब कठोर निर्देश जारी किये गये हैं कि सारी वसूली राशि को चालानों द्वारा जमा किया जाये और कोई राशि नकद प्राप्त नहीं की जाए।

समिति चाहती है कि विभाग को समिति के समक्ष, इसके द्वारा संकेतित किये गये उपचारात्मक कदमों को लेखापरीक्षा में वर्णित अनुमोदनों की अनुपालना में, ईमानदारी से लागू करना चाहिए। जैसा कि आयुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार बताया गया, रिकॉर्ड के रखरखाव एवं मामलों के अनुवर्तन में लापरवाही हेतु जवाबदेही निर्धारित करने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहियें। प्राप्त स्थिति एवं प्रगति की दिसम्बर 2005 में समीक्षा की जाएगी।

मई, 2004 में सरकार को इस मामले की सूचना देने के बाद विभाग ने जून 2004 में कहा कि कर के रूप में 3.94 लाख रु. की अतिरिक्त मांग की वसूली की जा चुकी है और आगे कहा कि पंजीकृत व्यापारी द्वारा बिक्री के कारण ब्याज लगाना उचित नहीं था और जुर्माना लगाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि व्यापारी ने उनके परिशोधन के लिए अपने आप आवेदन किया था। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कर की मांग की उत्पत्ति लेख परीक्षा के अनुरोध पर की गयी थी और इस प्रकार समय कर न जमा कराने के कारण ब्याज उदग्राह्य था। इसके अलावा व्यापारी ने लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाने के बाद मई, 2003 में सुधार के लिए प्रार्थना की।

विभाग का उत्तर

दिनॉक 10 अगस्त 2005 को आयोजित बैठक में आयुक्त ने बताया कि यह सम्बन्धित अधिकारी की ओर से हुई गलती थी और व्यापारी की गलती नहीं थी तथा इसलिए जुर्माने का प्रश्न नहीं उठता। आयुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा के अनुरोध पर परिशोधन किया गया था न कि व्यापारी के अनुरोध पर, अधिकारी का स्पष्टीकरण माँगा गया है।

अपने लिखित उत्तर में विभाग ने पहले बताया था कि परिशोधन आदेश, व्यापारी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर जारी किये गये हैं, लेखापरीक्षा के निरीक्षणों के कारण नहीं, जबकि बैठक में विभाग ने स्वीकार किया है कि परिशोधन आदेशों को केवल लेखा-परीक्षा आपत्ति के बाद जारी किया गया।

समिति की टिप्पणी एवं अनुमोदन

समिति को विभाग द्वारा यह स्वीकार करने की अनिच्छा के प्रति आश्चर्य है कि परिशोधन आदेशों को लेखा परीक्षा आपत्ति के बाद जारी किया गया, बाद में नहीं। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसके कार्य ऐसी छाप न छोड़े कि जो निर्धारकों के पक्ष में पूर्वग्रहित हों। इसे समिति को सूचना प्रदान करते समय भी अधिक सावधान रहना चाहिए।

5.11 सांविधिक प्रपत्रों के दुरूपयोग के कारण अनियमित छूट

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अधीन एक पंजीकृत व्यापारी कर का भुगतान किये बिना सांविधिक प्रपत्रों की संख्या के प्रति कच्चा माल खरीदने के योग्य है यदि वह किसी कर योग्य माल के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है अथवा दूसरे राज्य को भेजा जाता है।

अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के दौरान आयुक्त बिक्री कर दिल्ली के कार्यालय के तीन वार्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि दिसम्बर 2001 से मार्च 2003 के

दौरान कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के पांच मामलों में कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी यह मालूम करने से विफल रहा कि व्यापारियों द्वारा सांविधिक प्रपत्रों के विरुद्व 96.23 लाख रु. का कच्चा माल खरीदा गया और माल दूसरे राज्य को कर मुक्त माल की तरह बेच कर स्थानांतरित कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप ब्याज और जुर्माने को सम्मिलित करते हुए 37.87 रु. कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

मामला सरकार को मई 2004 में भेजा गया। विभाग ने जुलाई, 2004 में कहा कि दो मामलों में उन्होंने 8.55 लाख रु. की एक अतिरिक्त मांग सृजित की है। तीसरे मामले में विभाग ने कहा कि सांविधिक प्रपत्र पर खरीदे गये कच्चे माल का इस्तेमाल कर योग्य उत्पादन की बिक्री, निर्यात बिक्री और अंतर्राज्यीय बिक्री (अ.रा.बि.)में किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण आदेश के अनुसार 2001-02 के दौरान कोई भी निर्यात बिक्री के लिए 2.49 करोड़ रु. की छूट की अनुमति प्रदान की गयी थी। बाकी के दो मामलों के बारे में उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित थे।

विभाग का उत्तर

दिनाँक 10 अगस्त 2005 को आयोजित बैठक में आयुक्त ने बताया कि इन मामलों में पुनर्निर्धारण पूरा हो चुका है और व्यापारियों ने अपील कर दी। एक मामले में लेखापरीक्षा की सलाह पर, पुनर्निर्धारण हेतु व्यापारी को नोटिस जारी कर दिया गया ।

समिति की टिप्पणी एवं अनुमोदन

यह तथ्य कि निर्धारणकर्त्ता प्राधिकारियों को लेन-देन की जानकारी नहीं थी, जिनको सांविधिक फार्म के विरूद्ध की गई खरीद पर अनुमति दी गई, उनके अल्प कार्यसाधक ज्ञान को प्रतिबिम्बित करता है। अतः चूक जानबूझकर भी हो सकती है। अतः वे सभी मामले, जहाँ लेखापरीक्षा ने आपत्तियाँ उठाई हैं, उनको यह पता लगाने के लिए वर्गीकृत किया जाना चाहिए कि क्या गलती जानबूझकर हुई थी या लापरवाही के कारण। **यदि अनियमितता स्वेच्छापूर्ण या जानबूझकर हुई थी तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।**

5.12 कर की दर का गलत लगाया जाना

दि.बि.क. अधिनियम वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियों पर व्यापारी द्वारा देय कर की दरों को निर्धारित करता है जो अधिनियम के साथ संलग्न विभिन्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट किए गये है। कोई भी परिवर्तन होने पर देय कर के अतिरिक्त बचाए हुए कर के अधिकतम ढाई गुणा तक जुर्माना लगता है।

अप्रैल, 2003 से मार्च 2004 के दौरान आयुक्त, बिक्री कर दिल्ली के कार्यालय के नौ वार्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि फरवरी, 2001 से मार्च 2003 के दौरान निर्धारित कर निर्धारण वर्षों 1998-99 से 2001-02 के संबंधित 24 मामलों पर अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने 148.86 करोड़ रु. की राशि की मदों पर निर्धारित दर से कम दर पर लगाया। परिणामस्वरूप 12.48 करोड़ रु. की राशि की मदों पर निर्धारित दर से कम दर पर कर लगाया । 5.21 करोड़ रु. का ब्याज और 31.19 करोड़ रु. का जुर्माना भी अद्ग्राहय था।

मामला मई, 2004 में सरकार को भेजा गया। विभाग ने जून 2004 में तीन मामलों के संबंध में 8.90 लाख रु. कीमत की लेख परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया । पांच मामलों में विभाग ने दावा किया कि "जरदा" कर योग्य नहीं है जैसा कि तम्बाकू एक कर मुक्त मद है जो माननीय उड़ीसा होई कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं था जिसमें कहा गया था कि "जरदा" तम्बाकू से भिन्न है। ग्यारह मामलों में विभाग ने व्यापारी द्वारा व्यापार की गयी और बेची जा रही मदों पर विवाद किया जो तर्कसंगत नहीं था जैसा कि मदें। स्पष्ट रूप से या तो सांविधिक फार्मो / पंजीकरण प्रमाण पत्र और या निर्धारण आदेशों में उल्लिखित थी। बाकी बचे पांच मामलों में संबंध में फरवरी 2005 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

विभाग का उत्तर

दिनाँक 10 अगस्त 2005 को आयोजित बैठक में आयुक्त ने बताया कि वस्तुओं के वर्गीकरण के विवाद की समस्या बिक्रीकर प्रणाली के अन्तर्गत रही क्योंकि वर्गीकरण की सूची बहुत संकुचित थी। उन्होंने रसायनों तथा डाईयों का उदाहरण दिया, जिसमें 2000 से भी ज्यादा मद थे। आयुक्त का मत था कि समस्या उन अधिकारियों की अनुपस्थिति से गम्भीर हो गई, जो कर सम्बन्धी कानूनों तथा निर्धारण की सूक्ष्मताओं से परिचित थे। आयुक्त ने बताया कि वैट व्यवस्था के अन्तर्गत उन्होंने सामंजस्यपूर्ण कोड विकसित किया है तथा अनुसूचियों की सभी प्रविष्टियों को कोड नम्बर दिये गये हैं।

"जरदा" पर कर लगाने के मामले में आयुक्त ने बताया कि कानूनी मत लेने का प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि इस मामले में उडीसा तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो विभिन्न निर्णय थे। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार के साथ एक आम सहमति है कि ए.ई.डी. (अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी) मदों पर 2006 तक कर नहीं लगाया जायेगा।

समिति की टिप्पणी एवं अनुमोदन

जैसा कि पैरा 5.11 में बताया गया है, समिति, अनुमोदन करती है कि ऐसे मामले, जहाँ निर्धारण प्राधिकारियों ने जानबूझकर उपयुक्त निर्धारण नहीं किया उनकी पहचान होनी चाहिये और अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिये। इसके अलावा, उन मामलों में

जहाँ एक से अधिक न्यायिक निर्णय उपलब्ध हैं, विभाग को वहीं निर्णय लागू करना चाहिए, जो राजस्व के हित में हो।

(5) **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन में एकल मामलों पर भी निम्नानुसार पैरा दिये गये हैं**:-

पैरा 5.13 अप्राधिकृत बिक्री/खरीद पर छूट की अनियमित स्वीकृति
पैरा 5.14 परिसम्पत्तियों की बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण
पैरा 5.15 व्यापार योग्य लाइसेंसों की बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण
पैरा 5.16 निर्यात पर अनियमित छूट की अनुमति
पैरा 5.17 अमान्य सांविधिक प्रपत्र पर अनियमित छूट की अनुमति
पैरा 5.18 पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शामिल न किये गये स्थानों पर वस्तुओं के हस्तान्तरण पर गलत छूट
पैरा 5.19 सांविधिक प्रपत्र (एस.टी.35) के प्रति माल की अनियमित बिक्री
पैरा 5.20 छूट की अनियमित अनुमति
पैरा 5.21 मार्गस्थ बिक्री पर अनियमित छूट की अनुमति
पैरा 5.22 प्रेषण बिक्री पर अनियमित छूट
पैरा 5.23 अनुचित लेखों के प्रति अनियमित छूट
पैरा 5.24 खरीद/बिक्री/स्टॉक का कम लेखांकन

समिति द्वारा इन पैरों पर दिनाँक 10 अगस्त 2005 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक मामले में जहाँ लेखापरीक्षा ने अनियमितताएं संकेतित की हैं, विभाग ने पुनः-परीक्षण हेतु आदेश दिये हैं। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक मामले की स्थिति के बारे में समिति को पैंतालीस दिनों के अन्दर सूचित किया जायेगा।

समिति अनुमोदन करती है कि उन सभी मामलों में, जिनमें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन ने अनियमितताऐं खोजी हैं, उनका पुनःपरीक्षण किया जाए तथा जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्निर्धारण किया जाये। **उन मामलों में जहाँ निर्धारणकर्त्ता की सह-अपराधिता संदेहास्पद है, वहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जाये। समिति इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रगति की दिसम्बर 2005 में समीक्षा करेगी।**

निष्कर्ष

- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन ने बार-बार बिक्री कर देयों के भारी बकायों पर प्रतिकूल टिप्पणी की है, जो पिछले वर्षों के दौरान एकत्रित हो रहे थे तथा विभाग द्वारा उपचारात्मक उपाय करने का कोई संकेत नहीं था। बकाया राशि नौ हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा का आँकड़ा छू रही है, समिति ने अनुभव किया कि यही वह समय है जब विभाग कार्रवाई करने में जुटे, अतः इन पैरों पर विचार करने का निर्णय लिया गया।
  दिनाँक 26 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक में आयुक्त ने स्वीकार किया कि पुराने बकायों की वसूली विभाग के लिये कम प्राथमिक क्षेत्र रहा है। आयुक्त ने एक प्रभावी कार्य योजना प्रस्तुत की है और यह आशा है कि इसका सफल क्रियान्वयन, वांछित परिणाम देगा। यद्यपि पुराने देयों की वसूली अरूचिकर और अधिक समय लगाने वाला कार्य है, विभाग को यह ध्यान रखना चाहिये कि कठोर वसूली प्रक्रिया भविष्य के त्रुटिकर्त्ताओं के लिये निवारण के रूप में कार्य करती है और इस सम्बन्ध में कोई भी नरमी सहन नहीं की जानी चाहिये। यही नहीं, विभाग द्वारा प्रस्तुत पुराने रिकॉर्ड एवं सूचना से व्यापारियों द्वारा अधिकतर कर राशि स्वतः जमा करा दी जाती है और इससे अधिकारियों की ओर से किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं होती । **यह पुराने बकायों की वसूली का क्षेत्र है, जहाँ विभाग को अपने राजस्व में वृद्धि के लिये अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिये।**

- अधिकतर मामलों में, जहाँ लेखापरीक्षा ने अनियमिततायें पाई, विभाग ने पुनर्निर्धारण प्रारम्भ किया है तथा मामलों पर पुनर्विचार किया गया है। यह तथ्य कि व्यापारी कानून की गलत व्याख्या के कारण लाभ लेने में सफल रहे, या तो निर्धारणकर्त्ता प्राधिकारियों की अज्ञानता के कारण था या व्यापारियों के लाभ हेतु स्वेच्छापूर्ण अनुपालना के कारण था। **समिति ने अनुमोदन किया है कि प्रत्येक मामले में आयुक्त को जाँच करवानी चाहिए और जहाँ भी यह पाया जाए कि निर्धारणकर्त्ता प्राधिकारियों ने स्वेच्छापूर्ण या जानबूझकर सांविधिक प्रावधानों की अवहेलना करके व्यापारियों को लाभ पहुँचाया है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।**

- आयुक्त ने समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि विभाग के अधिकारियों एवं स्टाफ का तबादला अक्सर तीन से पॉच वर्षों की अवधि के दौरान हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे निर्धारण की प्रक्रिया एवं उसमें सम्मिलित तकनीकों को नहीं समझ पाते।

बिक्री कर (अब मूल्य वर्धित कर) दिल्ली सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये कि कर देयों के एकत्रण एवं वसूली में किसी तरह की लीकेज एवं शिथिलता न हो। इस सम्बन्ध में विभाग का वयैक्तिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सेतु है। बार-बार होने वाले तबादलों के सम्बन्ध में विभाग की चिंता वास्तविक है और इसका तत्काल समाधान होना चाहिए। केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों के अधिकांश राजस्व विभागों का अलग कैडर है। **विभाग के लिये समर्पित कैडर सृजित करने की संभावनायें खोजी जानी चाहिए ताकि राजस्व के हित में निरन्तरता**

बनी रह सके। प्रारम्भ में निर्धारणकर्त्ता प्राधिकारियों के पदों को एक्स कैडर बनाना चाहिए तथा मूल्यांकन के परिणामों के पश्चात् इसको बढ़ाया जा सकता है।

समिति जानती है कि स्टाफ द्वारा बिक्री कर विभाग में नियुक्ति की अत्यधिक माँग रहती है और वे अपनी नियुक्ति के लिये हर तरह के हथकंड़े अपनाते हैं। कथित "स्टिंग ऑपरेशन" जिनमें विभाग के कर्मचारी कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकडे गये, यह प्रतिबिम्बित करता है कि किस गहराई तक विभाग की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। **सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल उन्हीं अधिकारियों को विभाग में नियुक्त किया जाए जिनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।**

इसके विपरीत, **वे अधिकारी जो एकत्रण एवं वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करके विभाग के राजस्व में अत्यधिक योगदान देते हैं, उनको नकद पुरस्कारों या विशेष वेतन वृद्धि के रूप में उपयुक्त ढंग से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।** ऐसे अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए ताकि भविष्य में भी उनकी सेवाओं का सदुपयोग किया जा सके।

- आयुक्त का यह भी मत था कि निर्धारण एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यद्यपि निर्धारण प्रक्रियाएं अर्ध-न्यायिक प्रकृति की होती हैं, विभाग सदैव निर्धारण मामलों के निपटान हेतु तथा विभागीय निर्धारणकर्त्ता अधिकारियों द्वारा अपीलो के निपटान हेतु सांकेतित समय सीमा निश्चित कर सकता है।

  तथापि, सरकार को ऐसे अधिकारी का तबादला करने के सभी अधिकार हैं, जिसके बारे में वह अनुभव करे कि वह अधिकारी कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है। **ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनका कोई रूझान न हो तथा जिनको बिक्री कानूनों की जानकारी न हो, उन्हें निर्धारण कार्य नहीं सौंपना चाहिए। इसी तरह भ्रष्ट अधिकारियों को भी पब्लिक डीलिंग पदों से दूर रखना चाहिए।**

- **प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स, जो पहले ही प्रदान किये जा रहे हैं, बार-बार आयोजित किये जाने चाहिए।** इन कोर्सों को, निर्धारणकर्त्ता प्राधिकारियों को नवीनतम फैसलों तथा विभागीय निर्देशों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिये प्रयुक्त किया जाना चाहिए ताकि निर्धारणों में एक समान प्रक्रिया अपनाई जा सके और अधिकारी अज्ञानता का बहाना न बना सकें।

  विभाग को, नव-नियुक्त स्टाफ हेतु तीन से छह महीने का कोर्स आयोजित करने की संभावना खोजनी चाहिए। कोर्स विषयवस्तु में कर सम्बन्धी कानूनों, संविधियों की व्याख्या तथा बहीखाता पद्धति (विशेषतः इलैक्ट्रानिक रूप में) का समावेश होना चाहिए। इस कोर्स को क्वालिफाइंग कोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी की योग्यता का पता लग सके तथा केवल उन्हीं कर्मचारियों को आगे कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो इस कोर्स को क्वालिफाई कर सकें।

इन कोर्सों में निर्धारण प्राधिकारियों का निष्पादन उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रदर्शित होना चाहिए। निर्धारण प्राधिकारियों का विचार इस सिद्धांत के साथ दृढ़ होना चाहिए कि राज्य के राजस्व का हित उन मामलों में सर्वोपरि रखा जाए, जहाँ कानून की विभिन्न व्याख्यायें उपलब्ध हैं।

विभाग को समिति के अनुमोदनों पर, सदन द्वारा इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने के तीन माह के अन्दर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। समिति के अनुमोदनों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की दिसम्बर, 2005 में समीक्षा की जाएगी।

SC Vats

(डॉ.एस.सी.वत्स)
सभापति
लोक लेखा समिति
दिल्ली विधान सभा

दिल्ली
20 सितम्बर 2005